

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पत्रवाड़ा 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पत्रवाड़ा-2025 शिविर-

प्रकरण संख्या:- 116/25

दिनांक:- 11/7/25

श्री. रविशंकर
पुत्र लक्ष्मीनारायण

उनवान

बनाम

सरकार जरिये तहसील
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का मंडोला भू. अ. नि. भगवतगढ़ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम मंडोला पो हठ मंडोला को वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 217 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>बूट की अशुद्धि</u>	<u>का पोरेशन</u> <u>बूट शाखा</u> <u>भौच का</u> <u>बरवाड़ा</u>	<u>युनियन बूट</u> <u>आँक शाखा</u> <u>भौच का बरवाड़ा</u>

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर फलना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री रविशंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण के अंगे।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

